200

संख्या– 953 / ix / 2013 / 111 / 2008

प्रेषक,

डा0उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 21 अक्टूबर 2013

विषय–उप संभागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 210 / नियोजन / 13–72 / 2013 दिनांक 28 जून 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप संभागीय परिवहन कार्यालय (अनावासीय भवनों) नायकखेड़ा टनकपुर जिला चम्पावत के भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्य का उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन रू0 5.29 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 3.93 लाख (रू0 तीन लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनरूप ही कार्य कराया जाए।

(v) इस संबंध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस एण्ड डी0 अथवा टैण्डर / कोटेशन विषयक नियमों के समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(vi) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(ix) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

(x) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम –2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक–5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–050– भूमि तथा भवन–03–परिवहन आयुक्त/जनपदीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय–आयोजनागत–24 वृहत निर्माण कार्य के के नामे डाला जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30–03–2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या– 953 (1)/ ix/2013/111/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–1/2,उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी–23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।
4– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव